भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-821
दिनांक 23 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

धोखाधड़ीपूर्ण कार्बन क्रेडिट लेनदेन

†821. श्री बसवराज बोम्मई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत के उभरते कार्बन बाजार ढांचे में धोखाधड़ीपूर्ण कार्बन क्रेडिट लेनदेन को रोकने के लिए किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावित विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार का वर्ष 2027 और 2030 के लिए निर्धारित कार्बन कटौती लक्ष्यों के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए किस प्रकार का प्रस्ताव है;

(ग) कार्बन कटौती लक्ष्यों के साथ निजी क्षेत्र का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई/स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रकृति 2025 में चर्चा की गई अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखे गए अनुभवों को भारत के जलवायु नीति ढांचे में एकीकृत करने के लिए सरकार का किस प्रकार का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : जून, 2023 में अधिसूचित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) (यथा संशोधित) के अनुसार, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया भारतीय कार्बन बाज़ार की रजिस्ट्री है। फर्जी कार्बन क्रेडिट लेनदेन को रोकने के लिए, भारतीय कार्बन बाजार के लिए रजिस्ट्री को सौंपे गए कार्यों में सभी लेनदेन का सुरक्षित डेटाबेस और रिकॉर्ड अनुरक्षण शामिल है। यह रजिस्ट्री भारत के लिए मेटा-रजिस्ट्री भी है।

(ख) : सीसीटीएस के अंतर्गत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता (जीईआई) लक्ष्यों का अनिवार्य अनुपालन केवल "बाध्य संस्थाओं" के रूप में नामित उत्सर्जन गहन उद्योगों को कवर करता है, जिनकी वार्षिक

ऊर्जा खपत निर्धारित सीमा से अधिक है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न बाध्य संस्थाओं के लिए जीईआई लक्ष्यों को अंतिम रूप देते समय, बाध्य संस्थाओं की यूनिट में संभावित तकनीकी उपायों की सीमांत कमी लागत को ध्यान में रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी संस्थाओं को व्यावहारिक और प्राप्य लक्ष्य दिए जाएं।

(ग) : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने जुलाई 2024 में सीसीटीएस के अंतर्गत अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रकाशित की है, जिसमें सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) फ्रेमवर्क को शामिल किया गया है। एमआरवी फ्रेमवर्क का एक अनिवार्य पहलू सत्यापन प्रक्रिया है, जिसके लिए जीएचजी उत्सर्जन डेटा के वार्षिक सत्यापन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, बाध्य संस्थाओं द्वारा जीईआई लक्ष्यों के गैर-अनुपालन की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा सकती है तथा शास्ति भी लगाई जा सकती है।

(घ) : "प्रकृति" 2025, कार्बन मार्केट पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, के दौरान कार्बन बाजारों, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी के उपायों, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए वित्तपोषण और संबंधित मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श में उद्योगों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया। इन विचार-विमर्शों के परिणामों के आधार पर, भारत सरकार अपनी जलवायु नीतियों में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने के लिए कदम उठा रही है, जिसमें एक मजबूत और पारदर्शी कार्बन बाजार की स्थापना और वैश्विक नीतियों के साथ इसका संरेखण शामिल है।

****